न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 14-2-24 को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:38:17 IST
Reason: SelfAttested

29. जुम्मा पुत्र नूरमौहम्मद पुत्र सुरजमल जातियान मेव निवासीगण ग्राम पिपलाना तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज०) जरिये मुख्तयार–आम इस्लुप पुत्र श्री रहमत जाति मेव निवासी ग्राम पिपलाना तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज०)

-----:: वादीगण

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये पैराकार तहसीलदार, तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज०)

-----:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

## –:: निर्णय ::–

वादीगण द्वारा एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया है कि साबिक आराजी खसरा 93 मिन रकबा 4 बीघा, जिसके हाल खसरा नं. 123 रकबा 0.97 है० वाके ग्राम पिपलाना तहसील तिजारा जिला अलवर के पैमुद हुये है। जो इस वाद में विवादित आराजी कहलावेगी । वास्ते मुलाहिजा साबिक जमाबन्दी सं. 2014 लगायत 2018, खसरा गिरदावरी सं. 2011 लगायत 2018, मिलान क्षेत्रफल व हाल जमाबन्दी सलंग्न वाद पत्र है। उपरोक्त विवादित आराजी मिन वादीगण के पुर्वज चांदमल व सुरजमल की समभाग कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, जिस आराजी पर वादीगण के पूर्वज चांदमल व सुरजमल अपने जीवनकाल में काबिज व दाखिल रहे तथा उनके नाम का अंकन साबिक रिकार्ड व साबिक खसरा गिरदावरी में हो रहा है व हाल जमाबन्दी में सुपुर्दगी महकमा कस्टोयिडयन काश्त हो रहा है । मिन वादीगण के अपने पूर्वज चांदमल व सुरजमल के फौत हो जाने के बाद उक्त विवादित आराजी पर काबिज व दाखिल चले रहे है । उक्त विवादित आराजी में मिन वादीगण सं. 1 लगायत 27 का 1/2 भाग व मिन वादी सं. 28 व 29 का 1/2 भाग है और अपने अपने भाग पर शान्तिपूर्वक काबिज एवं दाखिल चले आ रहा है और मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त है । उपरोक्त आराजी मिन वादीगण की दादालाई पैत्रिक विरासत से प्राप्त हुई आराजी है, जिस पर मिन वादीगण का बाई बर्थ हक व अधिकार निहित है और मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा गत फसल बोई व सभेटी है मिन वादीगण पुर्वजो से मिली विरासत की उक्त विवादित आराजी पर शान्ति पूर्वक काबिज व दाखिल चले आ रहे है। वादीगण को कानून कायदें की कतई जानकारी नहीं है और वादीगण अपने अपने हिस्से पर काश्त कर काबिज खातेदार दाखिल चले आ है। लेकिन सैटमेन्टमेन्ट के कर्मचारियों व अधिकारियों ने जमाबन्दी सं. 2029 पैमुद करते समय मिन वादीगण के पूर्वजो के नाम के अमल को हजफ कर महकमा कस्टोडियन दर्ज कर दिया, जिसका कि उन्हें कोई कानूनन हक व अधिकार हासिल नहीं था । सैटलमेन्ट के कर्मचारियों व अधिकारियों ने मनमर्जी तरीके से गलत अमल दर्ज कर दिया, जो मिन वादीगण के हकूको के विपरीत बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है। मिन वादीगण इसी कदर अपने नाम का अमल दुरूस्त करवाकर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है व इश्तकरारहक की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। मिन वादीगण को उक्त गलत अमल का कतई ज्ञान नहीं था जब वादीगण आराजी का किसान कार्ड बनवाने हेतु हल्का पटवारी के पास 31.05.2013 को ली तो इस गलत अमल की जानकारी मिली, जिस पर कानूनी कार्य मशवरा कर समस्त दस्तावेजात की नकुलात प्राप्त की तो कानुन राय में यह पता चला कि प्रतिवादी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:38:17 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

...ज करने का अधिकार है। जिस पर मिन वादीगण दिनांक 06.03.2014 को प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड ...स्त कराने के लिए निवेदन किया। जिस पर प्रतिवादी ने साफ इन्कार कर दिया और प्रतिवादी ने दीगर ...ह अहित करने की धमकी दी। यदि प्रतिवादी अपने इरादे में कामयाब हो गया तो मिन वादीगण को ...हुत हानि होगी, दीगर मुकदमेबाजी में फंसना पड़ेगा और मिन वादीगण को अपने हकूक खातेदारी तथा ...की विरासत से मिली आराजी से महरूम होना पड़ेगा। इसलिए मिन वादीगण, प्रतिवादी को स्थायी ...षाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है। इसलिए उक्त वाद पेश कर आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी को ...म 80(2) जा०दी० का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन दावा अर्जेन्ट नेचर का है। इसलिए धारा (2) जा०दी० का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है, न्यायहित में दावा बिना नोटिस दिये दावा सुनवाई की जाना न्यायहित में उचित है। विवादित आराजी में वादीगण के अधिकार कानून द्वारा रक्षित ...इसलिए दावा पेश करना लाजिम आया है। डिक्री इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इस अमर की पारित की ...हो कि विवादित साबिक आराजी खसरा नं. 93 मिन रकबा 4 बीघा, जिसके हाल खसरा नं. 123 रकबा 0. है० वाके ग्राम पिपलाना तहसील तिजारा जिला अलवर के पेमुद हुये है, जो आराजी वादीगण की ...तलाई पैत्रिक आराजी है, जो विरासत से प्राप्त हुई है, जिस आराजी में मिन वादीगण सं. 1 लगायत 27 ...1 1/2 भाग व वादी सं. 28 व 28 का 1/2 भाग निहित है। सम्वत 2029 में सैटलमेन्ट के कर्मचारियों व ...धिकारियों ने महकमा कस्टोडियन दर्ज किया है, जो मिन वादीगण के हकूकों के विरूद्ध बातिल वो बेअसर ...नाकाबिले पाबन्दी है। जिसे इसी कदर दुरूस्त कराकर मिन वादीगण अपने आपको खातेदार काश्तकार ...घोषित कराने के अधिकारी है तथा इस्तकरारहक मय नाम दुरस्ती इन्द्राज की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र इरलूप पुत्र रहमत जाति मेव निवासी ग्राम पिपलाना तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा, खूबराम पुत्र दुल्लीराम निवासी ग्राम पीपलाना तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श 1), खसरा गिरदावरी 2016–18 (प्रदर्श 2), खसरा गिरदावरी 2015 (प्रदर्श 3), खसरा गिरदावरी 2011 (प्रदर्श 4), जमाबन्दी संवत 2029 (प्रदर्श 5), जमाबन्दी संवत 2014 (प्रदर्श 6), जमाबन्दी संवत 2018 (प्रदर्श 7), जमाबन्दी संवत 2067–70 (प्रदर्श 8) एवं मुख्त्यारनामा आम पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

यह कि प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी नम्बर 1 – आया वादीगण की विवादित आराजी पैतृक आराजी है, जिसके मुताबिक साबिक रिकॉर्डेड खातेदार है, जिसे गलत रूप से संवत 2029 में [illegible] दर्ज किया है। उक्त गलत अंकन को दुरूस्त कराकर वादीगण [illegible] इस्तकरारहक स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित कराने के [illegible] है एवं [illegible] का अंकन कराने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:38:17 IST
Reason: SelfAttested

— जिम्मे वादीगण

उपखण्ड अधिकारी

यह है कि उपरोक्त तनकी का विवेचन किया गया। दस्तावेजात का अवलोकन किया गया दस्तावेज निम्न प्रकार है

01. जमाबन्दी संवत 2011 से 2014 जिसमें साबिक नम्बर 93 रकबा 4 बिघा में चांदमल व सूरजमल बहिस्से बराबर दर्ज है। जो प्रदर्श संख्या 7 है।

02. जमाबन्दी संवत 2014 से 2019 जिसमें साबिक नम्बर 93 रकबा 4 बिघा में चांदमल व सूरजमल बहिस्से बराबर दर्ज है। जो प्रदर्श संख्या 6 है।

03. खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 2022 जिसमें साबिक नम्बर 93 रकबा 4 बिघा में चांदमल व सूरजमल बहिस्से बराबर काश्त दर्ज है। जो प्रदर्श संख्या 2, 3 व 4 है।

04. मिलान क्षेत्रफल साबिक नम्बर 93 हाल खसरा नम्बर 123 प्रदर्श 1 है।

05. जमाबन्दी संवत् 2029 जिसमें भूमि राज्य सरकार के नामित है जो प्रदर्श 5 है।

06. हाल जमाबन्दी संवत 2067 जिसमें हाल खसरा नम्बर 123 राज्य सरकार के नामित है जो प्रदर्श 8 है।

दस्तावेज प्रदर्श 1 मिलान क्षेत्रफल है जिस अनुसार हाल खसरा नम्बर 123 का साविक नम्बर 93 है जमाबन्दी प्रदर्श 6 व 7 संवत 2011 लगायत 19 में चांदमल व सूरजमल बहिस्सा बरावर हिस्सेदारान दर्ज है। खसरा गिरदावरी प्रदर्श 2, 3 व 4 संवत 2011 लगायत 2022 में साविक खसरा नम्बर 93 में चांदमल, सुरजमल वहिस्से वरावर काश्त दर्ज है। जिस अनुसार साविक जमावन्दी में वादीगण के वुर्जुगान का नाम अंकित है व खसरा गिरदावरी के अनुसार काश्त दर्ज है। वक्त प्रादुर्भाव काश्तकारी अधिनियम 1955 व जमीदारी विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के वक्त वादीगण के वुजुर्गान आराजी के रिकोर्डेड काविज काश्तकार रहे है जिस अनुसार वाई ऑपरेशन ऑफ लॉ हकूक खातेदारी वादीगण को प्राप्त हो चुके है। सैटलमेन्ट विभाग द्वारा उपरोक्त रकबा गलत रूप से प्रतिवादी के नाम अंकित किया है सैटलमेन्ट विभाग को रिकार्ड परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। साविक रिकार्ड की पुनरावर्ति करनी चाहिये थी वादीगण द्वारा अपने कब्जे के संवंध में दो गवाह पीडब्ल्यू 1 व 2 न्यायालय में परिक्षित कराये है जिन साक्ष्य से तत्समय से वादीगण का कब्जा सावित है इसलिए यह तनकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी वखूवी सावित है। जिस अनुसार वादीगण आराजी के रिकोर्डेड काविज खातेदार काश्तकार है व राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का अंकन कराने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:38:17 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नम्बर 2 – आया वादीगण जर्ये हु0 दवामी डिक्री प्रतिवादी [illegible] कराने के अधिकारी है।

— जिम्मे वादीगण

उपरोक्त तनकी वावत वादीगण [illegible] जा सकता। प्रकरण में प्रतिवादी राज्य सरकार है राज्य सरकार को हु0 दवामी से प[illegible]द नहीं किया जा सकेता। इसलिए तनकी स्ट्रेक्आउट की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

ी नम्बर 3 – वादीगण का वाद काबिले खारिज है।

— जिम्मे प्रतिवादी

यह है कि उपरोक्त तनकी का विवेचन किया गया। जिस अनुसार प्रतिवादी ने अपने जवाब में भूमि को कस्टोडियन होना बताया है व वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया है। जैसा कि तनकी नं0 1 में विश्लेषन किया गया है। उस अनुसार साबिक रिकार्ड में कही भी भूमि महकमा कस्टोडियन दर्ज नहीं है। साबिक इन्द्राजात वादीगण के बुजुर्गान के नाम है इस तथ्यों को साबित करने का भार की भूमि कस्टोडियन है प्रतिवादीगण के उपर था परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण साबित की जाती है।

की नम्बर 4 – अन्य अनुतोष

खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करेगें।

अतः चूकि तनकी नम्बर 1 के अनुसार वादीगण का वाद काबिले डिक्री है जिस अनुसार खसरा म्बर 123 रकबा 0.97 है0 वाके ग्राम पीपलाना तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा में वादीगण को ाबिक अनुतोष जिसमें वादी संख्या 1 लगायत 27 को 1/2 भाग व वादी संख्या 28 व 29 को 1/2 भाग ा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर वादीगण के न का अमल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(अनूप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:38:17 IST
Reason: SelfAttested